326

संख्या– — /XXXVI(1)/2014-234 / 2001

प्रेषक,

के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 29 सितम्बर, 2014

विषय– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में 01 पद प्रमुख निजी सचिव, 01 पद मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी एवं 01 पद मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के अस्थायी निःसंवर्गीय पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश के पत्र सं0–155/XXXVI(1)/2013-234/2001 टी0सी0 दिनांक 19.06.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में शासनादेश सं0–19 / एक(2) / न्याय विभाग / 2003 दिनांक 01.08.2003 के द्वारा सृजित प्रमुख निजी सचिव के 01 अस्थायी निःसंवर्गीय पद एवं शासनादेश सं0–98 / एक(2) / छत्तीस(1) / 2005–234 / 2001 दिनांक 15.12.2005 तथा शासनादेश सं0–98(क) / एक(2) / छत्तीस(1) / 2005–234 / 2001 दिनांक 16.12.2005 द्वारा सृजित / संशोधित मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी एवं मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के एक–एक अस्थायी निःसंवर्गीय पद के कार्यकाल को वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाय, दिनांक 01.03.2014 से दिनांक 28.02.2015 तक बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–128 NP/XXVII(5)/2014-15 दिनांक 22.09.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(के0डी0 भट्ट)
प्रमुख सचिव

संख्या–2220(1)/XXXVI(1)/2014-234 / 2001 टी0सी0

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3– वित्त अनुभाग–5 / कार्मिक अनुभाग / एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष मिश्र)
अपर सचिव

D:\Bhagwan folder\other file\Vividh letter2014.doc